कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक–3362री –2/भू. अ./2016 खण्डवा, दिनांक– 08/12/2016

प्रति.

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **धारा–19 उद्घोषणा शुद्धि पत्र** का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण कमांक **09/अ–82/15–16 ग्राम जावर** तहसील **खण्डवा**

––00––

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **धारा–19 उद्घोषणा शुद्धि पत्र** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित **धारा–19 उद्घोषणा शुद्धि पत्र** की तीन प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

पृ.क्रमांक363री –2/भू. अ./2015 खण्डवा दिनांक– 08/12/2016

प्रतिलिपि–

1. संचालक जन संपर्क संचालनालय म.प्र. की ओर **धारा–19 उद्घोषणा शुद्धि पत्र** की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इसका प्रकाशन करवाकर इसकी एक–एक प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले समाचार पत्र (1) पत्रिका (2) दैनिक भास्कर (3) चौथा संसार (4) नई दुनिया (5) राज एक्सप्रेस (6) नव भारत (7) स्वदेश।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **धारा–19 उद्घोषणा शुद्धि पत्र** को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** करने का कष्ट करे।
3. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण–1) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं गजट तथा पेपर प्रकाशन प्रति संकलित कर पेश करने हेतू।
4. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि, एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम मे डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणीकरण के 8 दिवस मे वापिस भिजवाने की व्यवस्था करे।

1. कलेक्टर कार्यालय नोटीस बोर्ड 2. एस. डी. ओ. कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड 3. तहसील कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत नोटीस बोर्ड 5. ग्राम जावर की चौपाल पर

अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

D:\L.A\Kendriy Mudmalay.doc

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्र08 एलए./2016

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक– 09/अ–82/15–16 खण्डवा,दिनांक 07 /12 /2016

// शुद्धि पत्र धारा 19 उद्घोषणा //

तलवडिया स्टेशन के पास ग्राम जावर में उपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य. हेतु ग्राम जावर तहसील तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक–09/अ–82/15–16 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 की उद्घोषणा का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग–1 में दिनांक 2.9.2016 को, पिपुल्स समाचार में दिनांक 29.8.2016 को, स्वदेश में दिनांक 30.8.2016 को एवं आम इश्तहार दिनांक 24.8.2016 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे। **जी नं 17537/16**

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नंबर	रकबा हे. में	खसरा नंबर	रकबा हे. में
26/7	0.216	26/5	0.216

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा **1.384** हे. यथावत रहेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(स्वाती मीणा नायक)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा